

अतिशीघ्र/तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या - डी.ई. 25(13)/468/एल.डब्ल्यू./2022-23/2003-2004,

दिनांक - 12/12/2023

सेवा में,

श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।

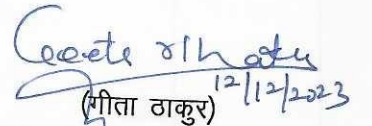
विषय- विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 32, दिनांक - 15.12.2023 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (100 प्रतियाँ), जो कि दिनांक-15.12.2023 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय

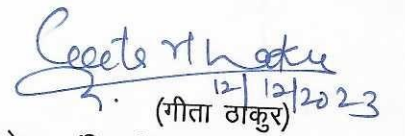

(गीता ठाकुर) 12/12/2023

उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

संख्या - डी.ई. 25(13)/468/एल.डब्ल्यू./2022-23/2003-2004,

प्रतिलिपि - निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 को 150 प्रतियाँ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।


(गीता ठाकुर) 12/12/2023

उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 32

दिनांक :- 15.12.2023

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री दुर्गेश पाठक

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि शहर की घनी बस्ती के कारण खुले इलाकों और खेल के मैदानों की बहुत कमी है;	वर्तमान में शिक्षा निदेशालय की खेल शाखा के अंतर्गत लगभग 30 स्टेडियम/खेल परिसर/खेल केंद्र और 26 स्विमिंग पूल चल रहे हैं जिनमें हजारों प्रशिक्षु अभ्यास करते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।
ख)	क्या इस कमी को दूर करने के लिए यह संभव है कि निकटस्थ आबादी को विद्यालयों के मैदानों में स्कूल समय के पश्चात् जाने की अनुमति दी जा सके;	
ग)	यदि हाँ, तो इन विद्यालयों के इन मैदानों की सुरक्षा को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

Geeta Shetty
4/11/2023

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi